राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1566/2025

डॉ. रणवीर सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, पशु पालन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, पशु पालन निदेशालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.01.2025
आदेश की दिनांक : 11.02.2025
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप गर्सा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में वेटनरी ऑफिसर के पद पर पशु चिकित्सालय, भाटवाड, जिला झुन्झुनू में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से लगभग 600 किमी. दूर बउपचि, सुमेरपुर, पाली में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि आलोच्य आदेश द्वारा उसका स्थानांतरण राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1971 के नियम 17(1) का उल्लंघन करते हुये किया गया है जबकि अपीलार्थी का कथन है कि उसने वर्तमान स्थान से स्थानांतरण के लिये ना तो कोई प्रार्थना की एवं ना ही उसने कोई अभ्यावेदन दिया था। इसके बावजूद भी नियम विरूद्ध उसका

स्थानांतरण उसकी स्वयं की प्रार्थना पर दर्शाते हुये किया गया है एवं नियमानुसार देय यात्रा भत्ता व योगकाल से वंचित किया गया है।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया गया।

4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश में निम्न प्रकार से नोट अंकित है:–

> ''क्र.सं. 4, 10, 16, 17, 18, 21, 27, 31, 40, 42, 44, 45, 47, 50, 52, 56, 63, 67, 79, 87, 88 एवं 91 के अतिरिक्त अन्य कामिकों को स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।''

5. ऐसे में हम पाते हैं कि अपीलार्थी के संबंध में क्रम सख्या 32 को उपरोक्त नोट में शामिल नहीं करना केवलमात्र लिपिकीय भूल है। माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3371/2024 कन्हैया लाल भामत बनाम निदेशक, निदेशालय पशुपालन, राजस्थान सरकार, जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 06.03.2024 में समान तथ्यों पर यह माना है कि इस प्रकार के स्थानांतरण को इस आधार पर गलत होना नहीं माना जा सकता है कि अपीलार्थी को टी.ए./डी.ए. प्राप्त होने का अधिकारी नहीं माना गया है। टी.ए./डी.ए. अपीलार्थी को नियमानुसार दिलाया जा सकता है, परंतु स्थानांतरण आदेश को निरस्त किया जाना उचित नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में भी अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश को इस आधार पर गलत होना नहीं माना जा सकता है कि अपीलार्थी को टी.ए./डी.ए. का भुगतान नहीं किया गया है।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है। इसके साथ ही प्रत्यर्थी विभाग को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि यदि अपीलार्थी स्वयं द्वारा अपना स्थानांतरण नहीं चाहा गया है तो अपीलार्थी को नियमानुसार टी.ए./डी.ए. का भुगतान किया जाये।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
(अध्यक्ष)